संख्या-72/2018/1646/सैंतीस-2-2018-1(72)/03टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 मई, 2018

विषय :- **गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-182/पशुधन-2/22/1/4/2018-19, दिनांक-16.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
18-प्रकाशन	7.50
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	7.50
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	22.50
39-औषधि तथा रसायन	138.50
42-अन्य व्यय	15.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	809.00
योग-	**1000.00**

(रूपये दस करोड़ मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में स्वीकृत धनराशि से प्रथमतः उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के तरल नत्रजन एवं सीमेन स्ट्राज के लम्बित बीजकों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
6. विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
8. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-72/2018/1646(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-72/2018/1646/सैंतीस-2-2018-1(72)/03टीसी, दिनांक-04 मई, 2018 का संलग्नक-

गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (स्वीकृत धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेरठ	0.100	0.100	0.300	2.500	0.200	17.000	20.200
2	बागपत	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	3.000	5.700
3	गाजियाबाद	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	9.500	12.200
4	गौतमबुद्धनगर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	5.000	7.700
5	हापुड़	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	10.000	12.700
6	सहारनपुर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.300	20.000	22.800
7	मुजफ्फरनगर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.300	18.000	20.800
8	शामली	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	9.000	11.800
9	मुरादाबाद	0.100	0.100	0.400	2.000	0.300	12.000	14.900
10	अमरोहा	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	5.500	8.300
11	रामपुर	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	7.000	9.800
12	बिजनौर	0.100	0.100	0.400	2.000	0.300	10.000	12.900
13	सम्भल	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	3.500	6.300
14	बरेली	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	10.000	12.800
15	बदायूं	0.100	0.100	0.400	2.000	0.300	11.000	13.900
16	शाहजहांपुर	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	9.000	11.800
17	पीलीभीत	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	7.000	9.700
18	फैजाबाद	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	8.000	10.700
19	अम्बेडकर नगर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	6.000	8.700
20	सुल्तानपुर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	12.000	14.700
21	बाराबंकी	0.100	0.100	0.300	2.000	0.300	17.000	19.800
22	अमेठी	0.100	0.100	0.300	2.000	0.300	13.000	15.800
23	गोण्डा	0.100	0.100	0.300	2.000	0.300	10.000	12.800
24	बलरामपुर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	6.000	8.700
25	बहराइच	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	2.000	4.700
26	श्रावस्ती	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	4.000	6.700
27	बस्ती	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	10.000	12.700
28	संतकबीर नगर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	12.000	14.700
29	सिद्धार्थ नगर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	7.500	10.200
30	गोरखपुर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.300	5.000	7.800
31	महराजगंज	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	9.000	11.700
32	देवरिया	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	18.000	20.700
33	कुशीनगर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	18.000	20.700
34	इलाहाबाद	0.100	0.100	0.300	2.000	0.300	30.000	32.800
35	कौशाम्बी	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	6.000	8.700
36	फतेहपुर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	13.000	15.700

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

37	प्रतापगढ	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	9.000	11.700
38	झांसी	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	6.000	8.700
39	जालौन	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	7.000	9.700
40	बांदा	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	5.500	8.200
41	चित्रकूट	0.100	0.100	0.300	1.000	0.200	0.000	1.700
42	हमीरपुर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	19.000	21.700
43	लखनऊ	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	12.000	14.800
44	उन्नाव	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	15.000	17.800
45	रायबरेली	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	19.000	21.800
46	हरदोई	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	23.000	25.800
47	सीतापुर	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	19.000	21.800
48	खीरी	0.100	0.100	0.400	2.000	0.200	18.000	20.800
49	आजमगढ	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	17.000	19.700
50	मऊ	0.100	0.100	0.300	1.000	0.200	0.000	1.700
51	बलिया	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	29.000	31.700
52	वाराणसी	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	12.000	14.700
53	जौनपुर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	18.000	20.700
54	गाजीपुर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	13.000	15.700
55	चन्दौली	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	13.000	15.700
56	मिर्जापुर	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	15.000	17.700
57	सोनभद्र	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	12.000	14.700
58	संतरविदास नगर	0.200	0.100	0.300	2.000	0.200	3.000	5.800
59	कानपुर नगर	0.200	0.100	0.300	2.000	0.200	13.000	15.800
60	फर्रूखाबाद	0.200	0.100	0.300	2.000	0.200	9.000	11.800
61	इटावा	0.200	0.100	0.300	2.000	0.200	9.000	11.800
62	कन्नौज	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	7.500	10.200
63	औरैया	0.200	0.100	0.300	2.000	0.200	3.000	5.800
64	आगरा	0.100	0.200	0.300	2.000	0.200	22.000	24.800
65	मथुरा	0.100	0.200	0.300	2.000	0.200	22.000	24.800
66	मैनपुरी	0.100	0.200	0.300	2.000	0.200	3.000	5.800
67	फिरोजाबाद	0.100	0.200	0.300	2.000	0.200	20.000	22.800
68	कासगंज	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	0.000	2.700
69	एटा	0.100	0.200	0.300	2.000	0.200	11.000	13.800
70	अलीगढ	0.100	0.100	0.300	2.000	0.200	32.000	34.700
योग-		**7.500**	**7.500**	**22.500**	**138.500**	**15.000**	**809.000**	**1000.000**

(रूपये दस करोड़ मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।